



पत्र संख्या-11/आ० वि०-07/2021 सा0प्र0 3541

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

दिवाकर मणि,
सरकार के अवर सचिव।

अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
पटना।

पटना-15, दिनांक- 29.5.26

विषय :-

आय प्रमाण पत्र के ऑनलाईन आवेदन में अन्यान्य अभिलेख के अंतर्गत मान्य दस्तावेज के मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-1179 दिनांक-27.04.2026.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-11 में आय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु साक्ष्य के रूप में निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हेतु समुचित माना गया है-

आवेदक/आवेदिका के माता-पिता/पूर्वज का

(11.1) वेतन/पेंशन पर्ची।

(11.2) आयकर रिटर्न।

(11.3) अन्यान्य अभिलेख।

साथ ही उक्त परिपत्र की कंडिका-12(ii) में आय प्रमाण पत्र हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक की अवधि तक वैध रहेगा, का उल्लेख भी किया गया है।

आय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के क्रम में फार्म-XV द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है, जिसमें आय प्रमाण पत्र का आधार के अंतर्गत वेतन/पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न, अन्यान्य अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है, तथा इसी क्रम में फार्म-XVII द्वारा स्वयं शपथ पत्र के अंतर्गत परिवार की कुल वार्षिक आय के अंतर्गत सरकारी सेवा से आय, व्यवसाय से आय, कृषि से आय एवं अन्य स्रोतों से आय के आधार पर कुल वार्षिक आय की सूचना आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित की जाती है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में कहना है कि आवेदक/आवेदिका द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के क्रम में स्वयं शपथ पत्र द्वारा समर्पित आय संबंधी घोषणा-पत्र के साथ वैसे सभी अभिलेख, जिससे आवेदक/आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय की प्रामाणिक पुष्टि हो सके, को अन्यान्य अभिलेख के अंतर्गत माना जा सकता है।

विश्वासभाजन,

29.05.26
(दिवाकर मणि)

सरकार के अवर सचिव।